C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XI, Fifth Session, 2021/1942 (Saka)
No. 14, Tuesday, March 9, 2021/Phalguna 18, 1942 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.201 and 202	11-18
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 203 to 220	19-93
Unstarred Question Nos. 2301 to 2530	94-740

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 742-754

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
21st to 30th Reports 755-756

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
24th to 26th Reports 757

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
13th to 15th Reports 758

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
19th Report 759

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS
323rd and 324th Reports 759

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
287th and 288th Reports 760

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
20th Report 761

STATEMENTS BY MINISTER

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. 762

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

Shri Mansukh L. Mandaviya 763

ELECTION TO COMMITTEE

Central Advisory Board on Disability 764

MATTERS UNDER RULE 377 767-785

(i) Need to curb illegal Bajri mining in Rajasthan

Shri Subhash Chandra Baheria 767

(ii) Need to set up an additional Navodaya Vidyalaya in Gadchiroli - Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Ashok Mahadeorao Nete 768

(iii) Regarding transfer of educational institutes in Chhattisgarh

Shri Mohan Mandavi 769

(iv) Need to establish a Sainik School in Meerut

Shri Rajendra Agrawal 770

(v) Regarding expediting of various highway projects in Santhal Pargana region, Jharkhand

Dr. Nishikant Dubey 771-772

(vi) Need to provide adequate compensation to farmers whose lands have been acquired for fencing purpose in border areas of Jammu and Kashmir

Shri Jugal Kishore Sharma 773

(vii) Need to construct a pit line at Latur Railway Station, Maharashtra

Shri Sudhakar Tukaram Shrangare 774

(viii) Need to provide adequate funds for construction of Gaya-Bodhgaya-Chatra railway line

Shri Sunil Kumar Singh 775

(ix) Need to start construction of Bhuj-Barmer-Tharad railway line

Shri Parbatbhai Savabhai Patel 776

(x) Regarding declaration of a WAPCOS project as a national project

Shri Rajiv Pratap Rudy 777

(xi) Regarding setting up of Quarantine plant facility on India - Nepal border

Shri Ajay Misra Teni 778

(xii) Need to enhance the amount for construction of house under Pradhan Mantri Awas Yojana in rural and urban areas

Shrimati Geeta Kora 779

(xiii) Need to redress the grievances of plain powerlooms/mill sector

Shri A. Ganeshamurthi 780-781

(xiv) Regarding conversion of R&B road as four lane National Highway

Dr. Beesetti Venkata Satyavathi 782

(xv) Need to widen NH-548 C/NH-63 in Maharashtra

Shri Om Pavan Rajenimbalkar 783

(xvi) Need to include Gopalganj district in the list of Aspirational Districts

Dr. Alok Kumar Suman 784

(xvii) Need to widen and repair highways and construct a bypass and a RoB in Nagaur district, Rajasthan

Shri Hanuman Beniwal 785

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 766

Member-wise Index to Unstarred Questions 767

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 773

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 774

* * Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 9, 2021/Phalguna 18, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 201

श्री भर्तृहरि महताब।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, सदन में पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका अधिकार समान होता है, बराबर होता है। अंदर एक डिजिटल भेदभाव, डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन चलता है। सत्ता पक्ष जो कुछ कहे, जो कुछ करे, सब टीवी में आता है। लेकिन विपक्ष की बात टीवी पर नहीं आती है। …(व्यवधान) विपक्ष पर पाबंदी लगाई जाती है। सदन में जो-जो हैं, सदन के स्टेक होल्डर हैं। …(व्यवधान) हम जो भी करते हैं, पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं। विपक्ष के लिए ब्लैकआउट बंद होना चाहिए। …(व्यवधान) यह नहीं करना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं, क्या आप में अनुशासन नहीं हैं? क्या आपकी पार्टी के क्या यही संस्कार हैं? आप बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं आपसे गुज़ारिश करता हूं कि कैमरा सब पर फोकस करें।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय विपक्ष दल के नेता, क्या आप देश की जनता को शोर दिखाना चाहते हैं? क्या आप ये हंगामा दिखाना चाहते हैं? तख्तियां दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: हम तख्तियां कभी नहीं दिखाते हैं। …(व्यवधान) सत्ता सिर्फ सरकार के लिए नहीं है।…(व्यवधान) पार्लियामेंट सिर्फ सरकार के लिए नहीं है।…(व्यवधान)

11.02 hrs

At this stage, Shri Benny Behanan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): माननीय अध्यक्ष जी, जो रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं, शोर-शराबा करते हैं, हंगामा करते हैं, क्या वह लोगों को टीवी में दिखाना चाहते हैं? ये लोग देश के लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? …(व्यवधान)

11.03 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 201

श्री भर्तृहरि महताब।

(Q.201)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, my first supplementary is this. Even if Agriculture Produce Marketing Committee continues to exist and MSP is declared, it would not be effective if the Food Corporation of India begins to limit its procurement. This would result in a fall in demand for produce and so prices would drop. This fear is real because FCI has come under criticism for overstocking wheat and rice.

Sir, I would like to understand from the Government whether FCI has stopped procuring half of its rice from the State of Odisha and whether this is also happening in different parts of the State because over-stocking of rice and wheat is there in our country.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ओडिशा में जितनी राइस की प्रोक्योरमेंट है, वह सारा प्रोक्योर करेंगे। वहां के सांसदों ने एक मांग की थी कि राज्य के सभी जिलों में बॉएल्ड राइस चावल स्वीकार करें। एफसीआई को ओडिशा क्षेत्र में जो भी चावल दिया जाएगा वह पूरा स्वीकार किया जाएगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, there is no outtake of paddy from Odisha till now. That is the problem. Overstocking is there. But since the hon. Minister has replied, I think, it is better that the Government revisits this issue.

Sir, my second supplementary is this. No one can deny that companies, business houses and traders in India are often found in cartelisation to increase their profits. Such a possibility of cartelisation cannot be ignored in agriculture if farmers are allowed to freely negotiate best deal with agri businesses and traders. In such a situation, how will the Government protect the farmers and ensure best remunerative prices to them for their foodgrains?

रेल मंत्री; वाणिज्य और उद्योग मंत्री; और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री पीयूष गोयल): माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो जो सवाल पूछा गया है, उसका इस सवाल के साथ कोई मेल नहीं है। ...(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि सरकार ने एक विकल्प दिया है, जो आज की व्यवस्था है वह पूरे तरीके से बरकरार है। सरकार ने एक विकल्प के रूप में किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जिस कानून का जिक्र किया है, इसे गहराई से देखें, उससे कोई नुकसान नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री मनीष तिवारी जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं? आपसे पंजाब की जनता पूछेगी कि आपको प्रश्न काल में महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने के लिए चुनकर भेजा था।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अच्छा होगा कि आप अपनी सीट पर वापस जाएं और अपनी बात रखें।

...(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी: माननीय अध्यक्ष जी, हाउस आर्डर में नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हम सबने यह सहमति बनाई थी कि हम प्रश्न काल को व्यवस्थित तरीके से चलने देंगे। प्रश्न काल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्यों के लिए अपने इलाके, क्षेत्र और देश की समस्याओं पर प्रश्न पूछने के लिए उपयुक्त समय होता है। मेरी भी कोशिश रहती है कि प्रश्न काल चले ताकि आपके माध्यम से उठाए गए मुद्दों का समाधान हो और आपको उसकी जानकारी मिले।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी सीट पर जाकर विराजें ताकि सदन ठीक से चल सके।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती हरसिमरत कौर बादल।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले चार महीने से सरहद पर बैठे हैं। आज एफसीआई ने एक और नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट, जिस पर हमारे देश और राज्य की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, एफसीआई उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड अपलोड करेंगे।

मैं उस राज्य से आती हूं जहां 40 फीसदी ऐसे लोग हैं, जिनकी जमीनें नहीं हैं। कोई अपने राज्य से बाहर जाता है तो अपनी जमीन ठेके पर दे देता है, अगर कोई विदेश में बैठा है तो वह भी अपनी जमीन ठेके पर दे देता है, जिसके पास जमीन नहीं है वह किसी जमींदार से लेकर देता है। अब एफसीआई के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वह लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, एफसीआई सरकारी खरीद नहीं करेगी। ये नई-नई चीजें हो रही हैं। मेरा प्रश्न है कि ये 40 फीसदी बे-जमीन वाले किसान कहां जाएंगे?

ये कह रहे हैं कि विकल्प दिया है। हमारे स्टेट का एपीएमसी एक्ट, 2013 क्लियरली किसान को राइट देता है कि वह कमीशन के एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट बेचे। ये कहते हैं कि एफसीआई में कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट में कोई इन्टरफियर नहीं करेंगे, जबकि यह डायरेक्ट इन्टरफियरेंस है। फैडरल स्ट्रक्चर की हर एक चीज में इन्टरफियर करके जो अच्छा खासा चल रहा है, उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं?

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बहन कुछ दिनों पहले तक मंत्रिमंडल में इन सब विषयों को स्वीकार करके एक पारदर्शी तरीके से देश में काम हो, व प्रोक्योरमेंट हो, इसके लिए बहुत उत्साह के साथ काम करती थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज वह कैसे भूल गई हैं कि इस देश की प्रतिबद्धता है, इस देश की जनता का संकल्प है कि देश में आज पारदर्शी व्यवस्थाएं हों, देश में गलत कामों को रोका जाए और इसी के तहत पूरे देश में एफसीआई की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। देश भर के किसान अपनी उपज का मूल्य सीधा सरकार से लेते हैं, डिजिटली लेते हैं, लेकिन मात्र एक राज्य ऐसा है जहां वे कहते हैं कि हम किसान को पूरा मूल्य नहीं देंगे, हम किसान के खाते में पैसा नहीं डालेंगे।

उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे उनकी क्या परिकल्पना है? क्या वे किसानों का पैसा हड़पना चाहते हैं? क्या वे किसानों को पूरा मूल्य नहीं पहुंचाना चाहते हैं? ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि हमसे पूछने के बदले, जैसे वे पहले राज्य सरकार से पूछा करती थीं, वैसे वे अब भी राज्य सरकार से कहें कि आज पारदर्शी व्यवस्था मोदी सरकार किसानों के हित में ला रही है। मोदी सरकार किसानों को सही दाम दिला रही है और रही बात लैंड रिकॉर्ड की, तो किसानों से ही खरीदेंगे। जिसकी भी लैंड है, वह अपना लैंड रिकॉर्ड अपडेट करे। ...(व्यवधान) अपडेट कर दे कि मैंने इसको किराए पर दिया है। खरीदने के लिए हमने मना नहीं किया है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड अपडेट नहीं करना और लैंड में कितनी उपज हुई है, उससे जमीन की उपज तो पता चलेगी कि दो एकड़ जमीन में कितना अनाज उगाया जा सकता है। मैं माननीय सांसद को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक अच्छी, ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था किसानों के हित में सरकार ने की

है। ...(व्यवधान) किसानों को पूरा पैसा मिले और गलत जगह इस देश के करदाताओं का पैसा न जाए, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।...(व्यवधान)

(Q.202)

SUSHRI SUNITA DUGGAL: Mr. Speaker, Sir, will the hon. Minister be pleased to state the number of schemes implemented by the Government for farmers engaged in fisheries; whether the Government has framed any scheme to enhance the fish production; if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; the total funds allocated under various schemes by the Government for welfare of fisheries sector during the last three years, State-wise; whether the Government has any plan for fisheries production in waterlogged land; and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

श्री गिरिराज सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्या से यह कहना चाहता हूं कि सारे उत्तर आपके प्रश्न पट पर रखे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक विषय कहना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, माननीय अधीर रंजन जी, नेता कांग्रेस ने कहा कि मुझे ठेस लगी है।...(व्यवधान) इनके नेता राहुल गांधी जी ने 2 फरवरी को अतारांकित प्रश्न पूछा था। लेकिन, पुदुचेरी और कोच्चि में जाकर पता नहीं, उनकी यादाश्त खत्म हो गयी, मैं यह नहीं कह सकता।...(व्यवधान) लेकिन, उन्होंने कहा कि फिशरीज डिपार्टमेंट है ही नहीं। मैं आऊंगा तो अलग से एक मंत्रालय बनाऊंगा। मुझे अफसोस है कि यह किसका प्रश्न था? मैं एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

मैंने पहले ही कहा, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि राज्यवार ब्यौरा दें, तो उनके उत्तर में मैंने ब्यौरा दिया है कि 3386.57 लाख भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को दिया है। यह राज्यवार ब्यौरा है। लेकिन, अगर आप मुझसे डिटेल में पूछेंगी, तो मैं उसका ब्यौरा आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं। आज देश में पहली बार, मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2014 तक, जो लोग सामने बैठे हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी तक राज किया, उन्होंने केवल 3682 करोड़ ही सेंट्रल एलोकेशन दिया।...(व्यवधान)

महोदय, मैं यह कह रहा हूं।...(व्यवधान) मोदी सरकार ने 32,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है।...(व्यवधान) आप जानते हैं, जिसने वर्षों तक राज किया है, भारत में वर्ष 2014 तक मछली का उत्पादन केवल 100 लाख टन हुआ था यानी 10 मिलियन।...(व्यवधान) लेकिन मोदी जी ने केवल छः साल में 150 लाख टन मछली का उत्पादन किया है।...(व्यवधान) मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिनको पता ही नहीं है, जिनके नेता को पता नहीं है कि फिशरीज डिपार्टमेंट कहां है और वह कब अलग हुआ?...(व्यवधान)

मोदी जी ने वर्ष 2019 से पहले दो डिपार्टमेंट बना दिए थे। अगर मैं कहूं कि...(व्यवधान) 32,572 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का मॉडल रखा है। महोदय, यह देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) आज देश में फिशरीज की टोटल ग्रोथ 10.87 प्रतिशत है, लेकिन इनके शासन काल में केवल 5.27 प्रतिशत थी।...(व्यवधान)

महोदय, यह बताता है कि फिशरीज के ग्रोथ में मोदी जी ने कितना बड़ा स्टेक लिया है, डिपार्टमेंट बनाया है।...(व्यवधान) मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि इनके नेता को कहीं स्कूल भेजिए और उनको बताइए कि भारत में कौन-कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। नहीं तो ये भूल जाते हैं कि संघीय ढांचे में कौन-कौन से विभाग हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एम. के. राघवन।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी सीट पर वापस जाएं। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछने का मौका दूंगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मेरा आग्रह है कि आप अपनी सीट पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीट पर वापस जाएं। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मैं आपको निश्चित रूप से मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही अपराह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 203 to 220)

Unstarred Question Nos. 2301 to 2530)

(Page No. 19-740)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

…(व्यवधान)

12.0 ½ hrs

At this stage, Shri Benny Behanan, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Adv. A. M. Ariff, and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 से 10, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री मनसुख मांडविया जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3772/17/21]

(ख) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3773/17/21]

(ग) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3774/17/21]

(घ) (एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3775/17/21]

(ड़) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3776/17/21]

(च) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3777/17/21]

(छ) (एक) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3778/17/21]

(ज) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3779/17/21]

(झ) (एक) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3780/17/21]

(ञ) (एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3781/17/21]

(2) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3782/17/21]

(4) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 20192020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3783/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-.

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रिज एण्ड रुफ कंपनी (आई) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 3784/17/21]

(दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 3785/17/21]

(तीन) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 3786/17/21]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3787/17/21]

(ख) (एक) हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्युफैक्चिरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3788/17/21]

(ग) (एक) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3789/17/21]

(घ) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3790/17/21]

(ड़) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रुड्डास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार दवारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रुड्डास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3791/17/21]

(3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3792/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री कृष्ण पाल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) हेण्डीकैप्ड डवलपमेंट काउंसिल, आगरा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हेण्डीकैप्ड डवलपमेंट काउंसिल, आगरा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3793/17/21]

(3) (एक) काउंसिल फॉर डवलपमेंट ऑफ पुअर एण्ड लेबरर्स, इंफाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर डवलपमेंट ऑफ पुअर एण्ड लेबरर्स, इंफाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3794/17/21]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल हेण्डीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हेण्डीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3795/17/21]

(ख) (एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मेन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मेन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) की मद (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3796/17/21]

(6) (एक) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज, ईस्ट गोदावरी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज, ईस्ट गोदावरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3797/17/21]

(7) (एक) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3798/17/21]

(8) (एक) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3799/17/21]

(9) (एक) अश्रा-अक्रुति, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अश्रा-अक्रुति, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3800/17/21]

(10) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3801/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3802/17/21]

(3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 4 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 3803/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री जी. किशन रेड्डी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3804/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री परषोत्तम रूपाला जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3805/17/21]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 319(अ) जो 21 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित सिटी कम्पोस्ट के विनिर्माताओं को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किसानों को सीधे बड़ी मात्रा में सिटी कम्पोस्ट विक्रय करने के लिए अधिकृत किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 3806/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री रामदास अठावले जी की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3807/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री नित्यानंद राय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स हवलदार (ऑपरेटर रेडियो और लाइन), कम्बैटाइज्ड पद, भर्ती नियम, 2020, जो 16 जनवरी, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 02 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल निरीक्षक (पुस्तकालय अध्यक्ष) (कम्बैटाइज्ड, गैर-राजपत्रित, समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020, जो 16 जनवरी, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 03 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल समूह 'क' और 'ख' सिविलियन राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2021, जो 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 38 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3808/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री कैलाश चौधरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3809/17/21]

12.02 ½ hrs

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
21st to 30th Reports

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदया, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 21वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 22वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) "रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 23वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) "रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 24वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 25वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 26वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 27वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(8) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 28वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(9) “आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)” से संबंधित 29वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(10) “आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)” से संबंधित 30वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

24th to 26th Reports

SHRI P. C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Agriculture (2020-21):-

(1) 24th Report on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare).

(2) 25th Report on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agricultural Research and Education).

(3) 26th Report on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Food Processing Industries.

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
13th to 15th Reports

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सभापति महोदया, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) की जांच संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(2) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) की जांच संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(3) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) की जांच संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
19th Report

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदया, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

12.04 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS
323rd and 324th Reports

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Madam, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports:

(1) 323rd Report on Demands for Grants 2021-22 of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education.

(2) 324th Report on Demands for Grants 2021-22 of the Department of Higher Education, Ministry of Education.

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

287th and 288th Reports

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदया, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 287वां प्रतिवेदन ।

(2) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 288वां प्रतिवेदन ।

12.05 ½ hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
20th Report

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

12.06 hrs

STATEMENTS BY THE MINISTER

(i)(a)Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam, I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Chemicals & Fertilizers on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3770/17/21.

(i)(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam, I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Chemicals & Fertilizers on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers.

…(व्यवधान)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3771/17/21.

12.06 ½ hrs

ELECTION TO COMMITTEE
Central Advisory Board on Disability

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): महोदया,मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन दिव्यांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में उस अवधि के लिए, जब तक कि वे सभा के सदस्य रहते हैं, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन दिव्यांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में उस अवधि के लिए, जब तक कि वे सभा के सदस्य रहते हैं, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.02 hrs

The Lok Sabha reassembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

14.02 ½ hrs

At this stage, Adv. A.M. Ariff, Shri Kodidunnil Suresh and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

14.03 hrs

MATTERS UNDER RULE -377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(i)Need to curb illegal Bajri mining in Rajasthan

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): राजस्थान में अवैध बजरी दोहन से स्थिति खराब हो रही है सरकार एवं प्रशासन बजरी माफिया के सामने लाचार दिखाई पड़ रहे है । राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन अवैध बजरी दोहन को रोकने में पूर्णतया विफल रहे है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकारे नीति बनाने में सफल नही हो पा रही है मेरे संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा में बनास एवं सहायक नदियां बजरी के अवैध दोहन को लेकर प्रभावित है जिससे उक्त नदी क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है एवं जलस्तर गिर रहा है आये दिन बजरी माफिया और प्रशासन के बीच आमने सामने झगड़े की स्थितियां पैदा हो रही है तथा दुर्घटनाएं भी बढ रही है, अतः विषय की गंभीरता समझते हुये केन्द्र सरकार आवश्यक हस्तक्षेप करे एवं इस पर एक राष्ट्रीय नीति बने, जिससे अवैध बजरी दोहन को रोका जा सके तथा आमजन को आवश्यक बजरी सरलता से उपलब्ध हो सके।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii)Need to set up an additional Navodaya Vidyalaya in Gadchiroli - Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि देश के नवोदय विद्यालयों में सेवारत शैक्षिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ को वर्ष 2005 से पूर्व और इसके पश्चात भी पेंशन की सुविधा से वंचित किए जाने के परिणास्वरूप काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विगत काफी समय से नवोदय विद्यालय के स्टॉफ द्वारा पेंशन की सुविधा प्रदत्त किए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन, उनकी मांग को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। अतः उनके हित में यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार उनकी मांगों पर सहानुभुतिपूर्वक विचार करके समुचित कदम उठाए। इस संदर्भ में मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर कई सौ कि.मी. लम्बे क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा आदिवासी संसदीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा हुआ है। अतः गड़चिरोली-चिमूर में एक और नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

(iii) Regarding transfer of educational institutes in Chhattisgarh

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): छतीसगढ़ मे शिक्षा के एकीकरण की दृष्टि से स्कूल शिक्षा विभाग आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग के शैक्षणिक संस्थानो को स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। परंतु इतने वर्षों पश्चात भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग ने खेल परिसर के शैक्षणिक हिस्से को अब तक स्कूल शिक्षा विभाग को सौपा ही नहीं है। वर्ष 2015 मे छतीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे लिए गए अहम निर्णय एवं सामान्य प्रशासन विभाग छतीसगढ़ शासन के आदेश की अवमानना परिलक्षित होती है। छतीसगढ़ के सभी खेल परिसरों मे व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति, कोच के पद पर पदोन्नति, वेतन आहरण इत्यादि सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन उक्त व्यवस्था के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाना है। अत: माननीय मंत्री जी से गुजारिश है, कि शासन के उक्त आदेश का अक्षरश: पालन करने हेतु छतीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग को निर्देशित करने की महान कृपा हो।

(iv)Need to establish a Sainik School in Meerut

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का हृदय स्थल है तथा प्रत्येक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। मेरठ छावनी देश की दूसरी सबसे बड़ी छावनी है। मेरठ तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवकों के सेना में भर्ती होने की गौरवशाली परंपरा है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव देश में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना का है। मेरठ की पृष्ठभूमि तथा महत्व को देखते हुए यहां एक सैनिक स्कूल की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ में एक सैनिक स्कूल खोलने की कृपा करें।

(v) Regarding expediting of various Highway projects in Santhal Pargana region, Jharkhand

Dr. NISHIKANT DUBEY (GODDA): We have been given various projects of highways and bridges in the region which is at the heart of the backward area of Santhal Pargana of Jharkhand. I had highlighted that many projects, which have already been sanctioned are stuck in red-tapism and needless delays at various levels. I would request you to please intervene personally and have the delays cleared.

The Projects are :

1- NH-133-Hansdiaha-Pirpainti Four Lane.

2- Declaration of new national highways between NH-80 and NH-31 of Bhagalpur alongwith bridge at Bateshwarsthan.

3- NH-114A Deoghar to Basukinath- Four Lane -foundation stone laid.

4- Ganga bridge at Sahibganj Four Lane – Foundation stone laid.

5- Railway over bridge at NH-114A, NH-133 and NH-80.

6- Godda to Pakur – NH-333A.

7- Mahagama to Digghi –Four Lane under CRF.

8- Declaration of new national highway

(a) Madhupur to Jamtara via Margomunda.

(b) Godda to Dumka via Ramgarh Agiamore.

(c) NH-80 Kahalgaon, Meherama , Mirza Chowki via Thakurgangti Bhagaiya.

(d) Hansdiha to Maharo More – NH-114A.

(e) Deoghar, Rajdhanvar via Chakai.

From the above projects, the deprived tribals of the region and the state of Jharkhand would benefit, therefore, I would like to seek your kind cooperation.

(vi) Need to provide adequate compensation to farmers whose lands have been acquired for fencing purpose in border areas of Jammu and Kashmir

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर के उन सीमावर्ती स्थानों की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ की सीमा पर तारबंदी हुई है। तारबंदी के कारण, तारबंदी की दूसरी और जो खेती की जमीन थी, जिसे अधिग्रहण कर लिया गया है, उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं. उनका जमीन ही एकमात्र सहारा है जबसे उनकी जमीन तार के उस पार चली गयी है तबसे वह बड़ी मुसीबतों की जिन्दगी जी रहें है उनकी भुखमरी की नौबत आ गयी है| इस तारबंदी की व्यवस्था में उन गरीब किसानों का क्या दोष है. ना ही उन्हें कोई रोजगार मिला और ना ही उन्हें उस जमीन का मुआवज़ा अभी तक मिला है, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। अत: मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवज़ा देने का कष्ट करें।

(vii) Need to construct a pit line at Latur Railway Station, Maharashtra

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): रेलवे द्वारा 2019 में लातूर स्टेशन पर पिटलाइन बनाने का अनुमोदन किया गया था। परंतु बजट में इस हेतु धनराशि आबंटन नहीं किए जाने के कारण अब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जनता की मांग पर जब भी मैं लातूर स्टेशन से नई रेल आरंभ किए जाने अथवा यात्री सुविधाओं के बारे में कोई मांग उठाता हूं तो मुझे यही जवाब दिया जाता है कि स्टेशन पर आवश्यक सर्विस लाइन नहीं होने के कारण यह संभव नहीं है। इस कारण विगत 70 साल से यहां पर कोई नई रेल शुरू नहीं की गई है। लातूर स्टेशन पर यात्री व माल का आवागमन विगत कई सालों से काफी बढ़ गया है। रेल कोच फैक्ट्री के शुरू हो जाने से भी यहां यात्री सुविधाओं के तत्काल विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पिट लाइन के बन जाने से न केवल यात्रियों की मांग व आवश्यकता के अनुरूप यहां से नई रेल शुरू करने की सुविधा हो पाएगी अपितु मराठवाड़ा के लोगों को देश के विभिन्न स्थानों पर आने-जाने के लिए यहां से आवश्यक नई रेल शुरू करना संभव हो जाएगा। मुझे आश्वासन दिया गया था कि 2020 में पिट लाइन के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर इसका निर्माण कर दिया जाएगा परन्तु धन के प्रावधान नहीं होने के कारण इस पर निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। डीआरएम,सोलापुर से पूछे जाने पर उनका यही जवाब होता है कि बजट प्रावधान होने के बाद ही इस का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस साल अर्थात् 2021-22 के बजट में भी इसके निर्माण हेतु धनराशि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अभी आने वाले डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इस साल के बजट में लातूर स्टेशन पर पिट लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर इसका निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए ताकि मराठवाडा की जनता की मांग के अनुसार लातूर स्टेशन से नई रेल शुरू करना तथा अन्य यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाना संभव हो सके।

(viii)Need to provide adequate funds for construction of Gaya-Bodhgaya-Chatra railway line

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मेरा संसदीय क्षेत्र चतरा बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। आवागमन की सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है। चतरा से गया रेलवे लाईन प्रोजेक्ट का अंतिम सर्वेक्षण पूरा हो गया। 37.672 एकड़ भूमि अधिग्रहण का कार्य भी हो चुका है। 2007-08 के बजट में चतरा -गया रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति दी गई। वर्ष 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ने इसका शिलान्यास बिहार में किया था। गया- बोधगया- चतरा रेल लाइन निर्माण की का कुल लागत 549.75 करोड़ रूपये है जिसमें वर्ष 2013-14 में 1860.28 लाख रूपये तथा 2014-15 में 10 लाख रूपये आवंटन के बाद शेष 53104.72 लाख रूपयों की आवश्यकता है। रेल बजट 2015-16 तथा 2014-15 का संशोधित परिव्यय 1 करोड़ रूपये किया गया है। चतरा व गया दोनो ही महत्वपूर्ण स्थान है जहां जैन, बौद्ध व हिन्दू सबके आस्था का केन्द्र है। इसलिए मैं रेल मंत्रालय से मांग करता हूँ कि गया-बोधगया-चतरा रेल लाइन निर्माण के लिए पर्याप्त राशि का आंवटन कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करायें।

(ix)Need to start construction of Bhuj-Barmer-Tharad railway line

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत भुज-बाड़मेर से थराद होते हुए एक नई रेल लाइन का निर्माण किया जाना है और इसका सर्वेक्षण हुआ है और पूर्व वाले बजट में लिया गया है परन्तु अभी तक इस रेल लाइन का कार्य शुरू नहीं हो सका है। इस रेल लाइन के निर्माण होने से थराद, बाव, सुईगाम, लाखनी तहसील के यात्रियों को रेलवे का लाभ मिल सकेगा। यहाँ आजादी से अबतक रेलवे से इस क्षेत्र को जोड़ा नहीं जा सका है यहाँ रहने वाले निवासी मुख्यतः किसान वर्ग के हैं और इस रेल लाइन के परिचालन से इन क्षेत्रो के किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और वे अपना कृषि उत्पाद एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से ले जा सकेंगे और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। अतः मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उपरोक्त रेल लाइन की वर्तमान प्रगति के बारे में जानकारी देने की कृपा करें और यदि कार्य की प्रगति रुकी हुई है तो इस परियोजना को पुनः प्रगति में लाने की कृपा करें ताकि इस क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ा जा सके और जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया जा सके।

(x)Regarding declaration of a WAPCOS project as a national project

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Interlinking of Rivers and Diverting the Excess water from regions of water-excess basin to the water-deficient basin has topped the agenda of the central government as well as the State Government of Bihar. However, I would like to bring it to notice that Bihar faces floods every year because of the river Ganga and its tributaries and hence diverting the water for benefitting the livelihoods of the people of those parts of Bihar which face drought. WAPCOS, a consultancy organisation and a public sector undertaking under the Ministry of Jal Shakti of the Government of India has initiated a project building canals for diverting the Ganga water tributaries to water- deficient plains. Hence, I urge the Minister of Jal Shakti to declare the current project of WAPCOS a National Project.

(xi)Regarding setting up of quarantine plant facility on India - Nepal border

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): मेरा लोकसभा क्षेत्र नेपाल की सीमा पर स्थित है, जहाँ से नेपाल से सब्जी फल व खाद्य सामग्री सहित काफी वस्तुओं का व्यवसाय होता है जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आय का एक प्रमुख जरिया है परंतु जून 2019 ने नेपाल सरकार ने नेपाली कोर्ट के आदेश को निहित करते हुए फल, सब्जी व खाद्य सामग्री का आयात बिना quarantine plant (संगरोध) के प्रमाण के रोक दिया। परंतु मैंने दिसम्बर 2019 के उक्त विषय को लोकसभा में उरिफंटा बार्डर पर मात्र 2 दिन के अन्दर quarantine plant कार्यक्रम को ठाया था माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार ने तत्काल संज्ञान लेकर गोप्रारम्भ करा दिया था, जिससे व्यापार सुगमता से हो रहा है तथा उक्त कार्यक्रम अच्छी तरह से कार्य कर रहा है जिसका धन्यवाद मैं सरकार व् माननीय कृषि मंत्री की को देता हूँ तथा जिक्र किये गये तिकुनियां-खखरौंला बार्डर जो नेपाल की सीमा पर स्थित एक प्रमुख व्यवसायिक बार्डर है तथा गोरिफंटा बार्डर से लगभग सड़क मार्ग से 80 से 85 किलोमीटर दूर है। अतः सरकार से अनुरोध है कि व्यपारियों की सहूलियत व सुगम व्यवसाय हेतु तिकुनियां- खखरौंला (नेपाल बार्डर) पर Quarantine plant को शुरू करने हेतु निर्देश देने की कृपा करें |

(xii) Need to enhance the amount for construction of house under Pradhan Mantri Awas Yojana in rural and urban areas

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुक को दी जाने वाली मानक राशि Model Estimate 2015 से अब तक 1,30,000 रूपया है। पाँच वर्ष बीतने के बाद भवन निर्माण सामाग्रियों का मूल्य 50 प्रतिशत बढ चुका है जिसके कारण भवन निर्माण में कई दिक्कते आती है और जिसके चलते वह भवन अधूरा बन पाता है | मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रह रहे लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि में भवन निर्माण की मानक लागत Model Estimate को 50 प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे सभी को इसका लाभ मिले।

(xiii) Need to redress the grievances of plain powerlooms/mill sector

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): The Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 was enacted by Govt. of India with a view to protect the livelihood of millions of Handloom weavers. Initially in 1986, around 22 textile articles were reserved for exclusive production by Handlooms which were subsequently reduced to 11 articles. Such items are 1. Saree, 2. Dhoti, 3. Towel, Gamcha and Angawastram, 4. Lungi, 5. Khes, Bedsheet, bedcover, Counterpane, Furnishing (incl. tapestry, upholstery), 6. Jamakkalam Durry or Durret 7. Dress material, 8. Barrack Blankets, Kambal or Kamblies, 9. Shawl, Loi Muffler, Pankhi etc., 10. Woollen Tweed, 11. Chadar, Mekhala/Phanek which are daily used by all sections of the people. But, at present handlooms and handloom weavers are in less number across the country and they are unable to meet the high demand for the above mentioned 11 exclusive textile articles. So, the handloom weavers themselves converted their handloom into powerlooms to meet the high demand of the above mentioned items.

The Handloom sector meets only 15% of the total demand for the textile products, the remaining demand is to be fulfilled by the powerloom sector. If whoever produces any article in contravention of an order, he/she they shall be punishable with imprisonment/penalty and in the case of a continuing contravention, with an additional fine. In India, the Textile sector is considered at 2nd position/rank next to agricultural sector which generates employment and income in the country. Due to the implementation of the said Act, the

existing plain Powerlooms/Mill Sector are prevented from production of these items which create a lot of impediments in the development of plain Powerlooms/Mill Sector, employment and income.

So, I urge upon the Minister of Textiles to take necessary action to ease out the problems being faced by the plain Powerlooms Mill Sector and weavers and if necessary, to make the necessary amendments in the The Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 during the ensuing session to allow plain Powerlooms/Mill Sector to produce above mentioned 11 exclusive textile articles or Repeal the said Act.

(xiv) Regarding conversion of R&B road as four lane National Highway

Dr. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sabbavaram - Venkannapalem - Chodavaram - Ravikamatam to Narsipatnam to Tuni is totally R&B road. It is short way to East Godavari also. Between chodavaram to Narsipatnam, SFT (Specific Task force) Army stores are also located at Lopudi village. Now a days, General public is also utilizing this road to enter into east Godavari as the NH Sabbavaram to Tuni faces heavy volume of traffic with heavy vehicles. If we develop the said proposed road as National Highway, it will be much useful to Army, defence departments as a parallel way to use in emergency situations. To minimise the traffic, it is only 113 km from Sabbavaram - Venkannapalem -chodavaram- Ravikamatam-Narsipatnam to Tuni (24+46+43) . Hence, I request the Government to consider to convert R&B road as four lane National Highway.

(xv) Need to widen NH-548 C/NH-63 in Maharashtra

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): टेंभूर्णी-कुर्दूवाडी-बार्शी-येडशी महाराष्ट्र N.H.548 C/NH-63, राजमार्ग का बहुतांश भाग मेरे संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद (धाराशिव) से होकर मुंबई जाता है और सोलापुर-उस्मानाबाद और लातूर जिले का सीधा परिवहन इस राजमार्ग से ही अधिकांश रूप में होता है तथा यह राजमार्ग मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के बीच परिवहन का मुख्य मार्ग है। इस राजमार्ग का 163 किलोमीटर में से 101 किलोमीटर का भाग मेरे चुनाव क्षेत्र से होकर जाता है। इस राजमार्ग की स्थिति परिवहन के लिए अनुकूल नहीं है। टेंभुर्णी-बार्शी राजमार्ग संकीर्ण होने के कारण इस राजमार्ग पर अपघात की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।

येडसी से लातूर की सड़क 15 नीटर चौड़ी बनाई जा रही है और टैंभूर्णी से येडसी तक 10 मीटर चौड़ी करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यहाँ पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने एवं क्षेत्रीय जनता की सुविधा के लिए इसमें बदलाव कर इसे 15 मीटर चौड़ा करना आवश्यक है।

अतः क्षेत्रीय जनता की माँग तथा प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र NH-548 C/NH-63 राजमार्ग को टेंभूर्णी से येंडसी तक 15 मीटर तक चौड़ा करने की कृपा करें।

(xvi) Need to include Gopalganj district in the list of Aspirational Districts

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मै अपने संसदीय क्षेत्र जिला गोपाल गंज को Aspirational Districts की लिस्ट में जोड़ने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। जैसा कि 117 जिलों को पूरे देश में Aspirational Districts के लिए Select किया गया है जिसमें 35 जिलों को Home Ministry की Recommendation के आधार पर शामिल किया गया है।

मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज एक कृषि प्रमुख क्षेत्र है जहाँ कि तीन चीनी मिलें है। किसान भाईयों एवं बहुत सारे परिवार गन्ने की खेती एवं चीनी मिल पर आश्रित है। युवा वर्ग को रोजगार की भी समस्या है। स्वास्थ्य, Nutrition, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन एवं basic infrastructure में सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है। गोपालगंज जिले में बाढ़ की विभीषिका एवं उसके बाद जान-माल का नुकसान एक बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा कर देती है, सरकार की मदद से हर साल इस संकटपूर्ण स्थिति पर काबू पाया जाता है। बाढ़ के दौरान लोगों को National Highways पर शरण लेनी पड़ती है। इन सब समस्याओं एवं Index के मापदण्ड को ध्यान में रखकर गोपालगंज जिले को Aspirational Districts की लिस्ट में शामिल करना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मै Ministry of Planning एवं नीति आयोग से आग्रह करता हूं कि गोपालगंज जिले को Aspirational Districts की लिस्ट में शामिल किया जाएं ताकि इस अविकसित जिले का विकास हो सके।

(xvii) Need to widen and repair highways and construct a bypass and a RoB in Nagaur district, Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सड़क,परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से CRF व अन्य मद से नागौर जिले में मुंडवा से मेड़ता सिटी तक स्टेट हाइवे 39 की 61.20 किमी,चातरा माँझरा से पांचला सिद्धा तक एमडीआर 37ए की 32किमी, मुंदीयाड़ से जोरावरपुरा तक एमडीआर 37बी की 16 किमी,झिंटिया से रेण होते हुए सांजु की एमडीआर 225 की 38 किमी,कवासपुरा से पुंदलु, गगराना इंदावड़ होते हुए गूलर तक एमडीआर 224 की 66 किमी, स्टेट हाइवे 19 की करणु से भोमासर,भुण्डेल गुड़ा होते हुए गोगेलाव तक 62किमी व स्टेट हाइवे 87ए की नागौर जिले की सीमा की 19 किमी सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य व बोरावड़ से खाटू सड़क पर कालवा रेलवे फाटक पर आरओबी का निर्माण व नागौर से बीकानेर एनएच 62 को लाडनू सालासर एनएच 58 से जोड़ने वाली सड़क पर बाइपास का निर्माण तथा नागौर शहर में विजय वल्लभ चौक होते हुए मुंडवा तिराहा होते हुए मानासर तक फोर लेन सड़क मय डिवाईडर के निर्माण की मांग करता हूँ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सब विषयों पर चर्चा हो जाएगी, चर्चा के लिए ही सदन है। कृपया आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। आज बिल भी है और भी अनेक चर्चाएं हैं, काफी महत्वपूर्ण काम सदन के सम्मुख है। आप कृपया करके बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप थक भी गए होंगे, विरोध करते-करते। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया चेयर को सहयोग कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही बुधवार, 10 मार्च, 2021 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 10, 2021/Phalguna 19, 1962(Saka)